PRESS NOTE MEERUT RANGE

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 29.04.2019 जनपद बुलन्दशहर

थाना अहार पुलिस द्वारा ग्राम खदाना निवासी पुष्पेन्द्र पर जानलेवा हमले की घटना मे संलिप्त 03 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना मे प्रयुक्त पल्सर मोटर साईकिल व एक तंमचा मय कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 09.04.2019 को वादिया श्रीमती गजेन्द्री देवी पत्नी स्व0 धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम खदाना थाना अहार बुलन्दशहर द्वारा थाना अहार पर सूचना अंकित करायी थी कि दिनांक 09.04.19 को उसका लडका पुष्पेन्द्र खेत में पानी लगा रहा था कि समय करीब प्रातः 10:30 बजे 03 अज्ञात अभियुक्तो द्वारा जान से मारने की नीयत से तंमचे से गोली मार दी गयी थी। वादिया की तहरीर के आधार पर थाना अहार पर मु0अ0सं0–44/19 धारा 307 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

उक्त घटना मे संलिप्त अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री मनीष मिश्र के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी अनूपशहर श्री अतुल कुमार चौबे के निकट पर्यवेक्षण मे थानाध्यक्ष अहार को आवश्यक निर्देश दिये गये थे। थानाध्यक्ष अहार द्वारा गहनता से की गयी विवेचना/कार्यवाही मे उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त **1–तरूण पुत्र फतेह सिंह जाट, 2–आकाश पुत्र शेरसिंह कौरी, 3–राजू पुत्र इम्तियाज निवासीगण ग्राम सैदपुर थाना बीबीनगर बुलन्दशहर व 4–अरविन्द सिंह पुत्र रणवीर सिंह निवासी नगला शेखू थाना खुर्जादेहात बुलन्दशहर** के नाम प्रकाश मे आये। दिनांक 28.04.19 को समय करीब 16.30 बजे थानाध्यक्ष अहार श्री शौकेन्द्र सिंह मय पुलिस फोर्स द्वारा मुखबिर की सूचना पर कहीं भागने की फिराक में खडे अभियुक्त आकाश व तरूण को सैदपुर पुलिस चौकी के पास से घटना मे प्रयुक्त पल्सर बाइक व तंमचे सहित गिरफतार करने मे सफलता प्राप्त की तथा आज दिनांक 29.04.2019 को समय करीब प्रातः 10:30 बजे अभियुक्त अरविन्द को खुर्जा में पहासू अड्डे उसकी डेयरी से गिरफ्तार कर लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पताः–

1– तरूण पुत्र फतेह सिंह जाट निवासी ग्राम सैदपुर थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर।
2– आकाश पुत्र शेरसिंह कौरी निवासी उपरोक्त।
3– अरविन्द सिंह पुत्र रणवीर सिंह निवासी नगला शेखू थाना खुर्जादेहात जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी–

1– एक पल्सर मोटर साईकिल नम्बर यूपी–13जे–1926 (घटना मे प्रयुक्त)
2– एक तंमचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस। (घटना मे प्रयुक्त)

घटना का कारण–

अभियुक्त अरविन्द ने पूछताछ पर बताया कि उसकी शादी वर्ष–2006 मे पुष्पेन्द्र की बहन के साथ हुई थी, उसकी एक 10–वर्ष की पुत्री है। उसके बाद उसकी पत्नी को कोई सन्तान नही हुई। इसी कारण अरविन्द दूसरी शादी करना चाहता था जिसका विरोध उसके साले पुष्पेन्द्र द्वारा किया गया था तथा उसको कई बार समझाया गया था कि दूसरी शादी न करे। दूसरी शादी करने मे उसका साला पुष्पेन्द्र बाधा बन रहा था। इसी कारण अरविन्द द्वारा अपने मौसेरे भाई तरूण के साथ मिलकर अपने साले पुष्पेन्द्र को रास्ते से हटाने की योजना बनायी। अरविन्द द्वारा तरूण

को पुष्पेन्द्र को रास्ते से हटाने के लिए 80,000 रूपये दिए थे। तरूण द्वारा इस घटना मे अपने गांव के दो साथी आकाश व राजू को शामिल किया तथा इस काम के लिए 20–20 हजार रूपये का लालच दिया था। दिनांक 09.04.19 को पुष्पेन्द्र अपने खेत में पानी लगा रहा था कि समय करीब 10:30 बजे तरूण अपने दोनों साथी आकाश व राजू के साथ वहां पहुंचा तथा आकाश व राजू द्वारा पुष्पेन्द्र को जान से मारने की नीयत से तंमचे से गोली मार दी थी जिससे वह घायल हो गया था। घटना मे संलिप्त शेष अभियुक्त राजू की भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है। उपरोक्त पंजीकृत अभियोग मे धारा 120बी भादवि की वृद्धि की गयी है।

अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अहार पर मुअसं–51/19 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तो को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. श्री शौकेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष अहार
2. उ0नि0 बिजेन्द्र सिंह
3. का0 सुधीर कुमार, का0 ललित कुमार।

प्रेस नोट दिनांक 29.04.2019 जनपद मेरठ

थाना मेडिकल पुलिस द्वारा मोबाइल व चैन लुटेरे, लूटे हुए मोबाइल व चैन सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान जी जनपद मे मोबाइल लूट व चैन लूट की हो रही घटित घटनाओ की रोकथाम एवं अपराध व अपराधियो पर अंकुश लगाने के लिए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के दिशा निर्देशन में चलाये गये अपराधियो के विरूद्ध धरपकड़ अभियान के दौरान श्रीमान क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन महोदय के पर्यवेक्षण में थाना मेडिकल पुलिस द्वारा **दिनांक 28.04.2019 को चैकिंग के दौरान तेजगढ़ी चौराहे पर उ0नि0 रणवीर सिंह मय उ0नि0 संजय कुमार, उ0नि0 जितेन्द्र सिंह, उ0नि0 मुनेन्द्र कुमार के मय हमराही के मुखबिर की सूचना पर समय करीब 22.30 बजे मोबाइल लूट व चैन लूट करने वाले तीन अभियुक्तगण 1- अनुज कुमार उर्फ सन्तलिया S/O हरीसिंह R/O म0न0- 1016 गावडी वाला मलियाना थाना टी0पी0नगर मेरठ, 2- मोनू S/O शीशपाल नि0 अम्बेडकर पार्क के पास मलियाना थाना टी0पी0 नगर मेरठ, 3- सचिन S/O महेन्द्र निवासी अम्बेडकर विहार मलियाना थाना- टीपीनगर मेरठ को गिरफ्तार** किया गया जिनके कब्जे से लूट के सात मोबाइल एवं **दिनांक 26/04/19 को रामापुरम कालोनी अंशल रोड** थाना मेडिकल से **पल्लवी से लूटी चैन** के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 250/19 धारा 392 भादवि** के वांछित अभियुक्तगणो से घटना मे लूटी गयी **एक चैन पीली धातु मय लोकेट(ओम) घटना मे प्रयुक्त मो0सा0 एवं एक चोरी की स्कूटी व नाजायज अस्लाह** तमंचा मय कारतूस बरामद हुये तथा अभियुक्तगणो ने थाना हाजा के मु0अ0स0 **210/19 धारा 356/379 भादवि** से सम्बन्धित मुकदमा वादी से **दिनांक 08/04/19** को हुयी घटना के जुर्म का इकबाल किया है तथा घटना मे छीने गये 11000/-रूपयो में से **4600/-रूपये बरामद** हुये है तथा दिनांक

08/04/19 को अजंता कालोनी रोड पर श्रीमती ममता रानी के साथ हुयी चैन लूट की घटना के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 **213/19 धारा 356/379 भादवि तथा थाना कंकड़खेडा** के **मु0अ0सं0 321/19 धारा 392 भादवि** से सम्बन्धित श्रद्धापुरी से छीनी गयी चैन का इकबाल करते हुये बताया कि उक्त **दोनो चैन फरार अभियुक्त मोन्टू के पास बेचने के लिए दे रखी है** तथा घटना मे प्रयुक्त **स्कूटी जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट लगी** है का सम्बन्ध ई-पुलिस स्टेशन दिल्ली से चोरी होना पाया गया। इस समबन्ध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। यदि किसी थाने से सम्बन्धित हो तो आवश्यक कार्यवाही करें। अभियुक्तगण शातिर किस्म के लुटेरे है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण</u> –

1- अनुज कुमार उर्फ सन्तलिया S/O हरीसिंह R/O म0न0- 1016 गावडी वाला मलियाना थाना टी0पी0नगर मेरठ

2- मोनू S/O शीशपाल नि0 अम्बेडकर पार्क के पास मलियाना थाना टी0पी0 नगर मेरठ बताया

3- सचिन S/O महेन्द्र निवासी अम्बेडकर विहार मलियाना थाना- टीपीनगर मेरठ

<u>फरार अभियुक्त</u> -

मोन्टू S/O बिजेन्द्र निवासी भोला रोड गली नं0 9 मलियाना थाना टी0पी0नगर जनपद मेरठ

अभियुक्तगणो से बरामदगी –

1. सात मोबाइल (लूटे हुये)
2. 01 चैन पीली धातु मय लोकेट(ओम) स0मु0अ0सं0 250/19 धारा 392/411 भादवि थाना मेडिकल जनपद मेरठ
3. 4600/- रूपये सम्बन्धित मु0अ0सं0 210/19 धारा 356/379/411भादवि थाना मेडिकल जनपद मेरठ
4. एक चोरी की स्कूटी मय फर्जी नम्बर प्लेट लगी स0मु0अ0सं0 18764/19 धारा 379 भादवि ई पुलिस स्टेशन एमवी थीफ दिल्ली
5. एक मोटर साईकिल एचएफ डीलक्स घटनाओ में प्रयुक्त
6. दो नाजायज तमंचे 315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस 315 बोर

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1- अनुज कुमार उर्फ सन्तलिया S/O हरीसिंह R/O म0न0- 1016 गावडी वाला मलियाना थाना टी0पी0नगर मेरठ –

1. मु0अ0सं0 250/19 धारा 392/411 भादवि थाना मेडिकल जनपद मेरठ
2. मु0अ0स0 210/19 धारा 356/379/411 भादवि थाना मेडिकल जनपद मेरठ
3. मु0अ0सं0 258/19 धारा 414/411/420 भादवि थाना मेडिकल जनपद मेरठ
4. मु0अ0सं0 231/19 धारा 392 भादवि थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ
5. मु0अ0सं0 18764/19 धारा 379 भादवि ई पुलिस स्टेशन एमवी थीफ दिल्ली

2- मोनू S/O शीशपाल नि0 अम्बेडकर पार्क के पास मलियाना थाना टी0पी0 नगर मेरठ –

1. मु0अ0सं0 250/19 धारा 392/411 भादवि थाना मेडिकल जनपद मेरठ
2. मु0अ0स0 210/19 धारा 356/379/411 भादवि थाना मेडिकल जनपद मेरठ
3. मु0अ0सं0 258/19 धारा 414/411/420 भादवि थाना मेडिकल जनपद मेरठ

4.मु0अ0सं0 231/19 धारा 392 भादवि थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ

5.मु0अ0सं0 18764/19 धारा 379 भादवि ई पुलिस स्टेशन एमवी थीफ दिल्ली

6.मु0अ0स0 259/19 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना मेडिकल जनपद मेरठ

3- सचिन S/O महेन्द्र निवासी अम्बेडकर विहार मलियाना थाना- टीपीनगर मेरठ-

1. मु0अ0सं0 250/19 धारा 392/411 भादवि थाना मेडिकल जनपद मेरठ

2.मु0अ0स0 210/19 धारा 356/379/411 भा/दवि थाना मेडिकल जनपद मेरठ

3.मु0अ0सं0 258/19 धारा 414/411/420 भादवि थाना मेडिकल जनपद मेरठ

4.मु0अ0सं0 231/19 धारा 392 भादवि थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ

5.मु0अ0सं0 18764/19 धारा 379 भादवि ई पुलिस स्टेशन एमवी थीफ दिल्ली

6.मु0अ0स0 260/19 धारा 25 आयध अधिनियम थाना मेडिकल जनपद मेरठ

अवैध शस्त्र सहित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा मेघदूत की पुलिया नाले का किनारा से अभियुक्त अक्षय बेनिबाल पुत्र बालक राम नि0 अनाथ आश्रम इण्डियन गैस एजेन्सी के पास थाना सिविल लाईन मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस नाजायज बरामद होना । अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिविल लाईन पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा चिकारा काम्पलेक्स के सामने नाले के किनारे से अभियुक्त हिमांशु उर्फ सोनू योगराज पुत्र रणवीर सिंह नि0 131 पुरानी मोहनपुरी थाना सिविल लाईन मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस नाजायज बरामद होना । अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिविल लाईन पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

थाना गंगानगर पुलिस द्वारा आई ब्लाक चौराहा से अभियुक्त आकाश पुत्र मुकेश कुमार नि0 ग्राम सिसौली थाना मुण्डाली मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना । अभियुक्त के विरूद्ध थाना गंगानगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

अवैध मादक पदार्थ सहित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेडिकल पुलिस द्वारा मंसा देवी मन्दिर वाली गली से अभियुक्त मोहित बंसल पुत्र संजय बंसल नि0 109/4 प्लाट नं0 5 जागृति विहार थाना मेडिकल मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 60 ग्राम चरस बरामद होना । अभियुक्त के विरूद्ध थाना मेडिकल पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

थाना सरूरपुर पुलिस द्वारा हर्रा से पांचली मार्ग से अभियुक्त जमील पुत्र अली हसन कुरैशी नि0 कस्बा हर्रा थाना सरूरपुर मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 550 ग्राम चरस नाजायज बरामद होना । अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरूरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

अवैध चाकू सहित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेडिकल पुलिस द्वारा मंसा देवी मन्दिर वाली गली से अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र सतपाल नि0 26/7 जागृति विहार थाना मेडिकल मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मेडिकल पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

थाना हस्तिनापुर पुलिस द्वारा डा0 भीमराव अम्बेडकर मूर्ति के पास पुराना हस्तिनापुर से अभियुक्त कोशिन्दर पुत्र रामपाल सिंह नि0 ग्राम कुन्हैडा थाना हस्तिनापुर मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। अभियुक्त के विरूद्ध थाना हस्तिनापुर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गौतमबुद्धनगर
दिनांक 29.04.2019 सराहनीय कार्य

जनपद गौतमबुद्धनगर पुलिस का सराहनीय कार्य।

दिनांक 28.04.2019 को थाना कासना पुलिस द्वारा 04 लुटेरो को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से दो पिस्टल देशी .32 बोर, एक तमंचा 315 बोर मय एक कारतूस तथा चोरी की एक स्कूटी बरामद की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1. खालिद पुत्र मुनकाद नि0 बडा गांव उर्फ अमीनाबाद थाना किला परीक्षतगढ जिला मेरठ।
2. जान मौहम्मद पुत्र अकबर नि0 ग्राम सलाई थाना हापुड देहात जिला हापुड।

अभियुक्तो का आपराधिक इतिहासः–

1. मु0अ0सं0 198/19 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना सैक्टर 58 नोएडा
2. मु0अ0सं0 199/19 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना सैक्टर 58 बनाम
3. मु0अ0सं0 200/19 धारा 411/414/482 भादवि थाना सैक्टर 58 नोएडा।
4. मु0अ0सं0 388/18 धारा थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद।

बरामदगी –:

1. 02 अदद पिस्टल देशी .32 बोर।
2. 01 अदद तमंचा 315 बोर मय एक कारतूस 315 बोर।
3. 01 अदद स्कूटी चोरी की।

<u>जनपद गाजियाबाद प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29.04.19</u>

<u>थाना मसूरी के गैंगस्टर में मुकदमे में वांछित शातिर अपराधी गिरफ्तार:-</u> थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 28/4/19 को अभि0 को मुखबिर की सूचना पर समय करीब 23.50 बजे थाना मसूरी के अ0सं0 206/19 धारा 2/3 गैगंस्टर अधि0 के वांछित अभि0 (1) इरशाद उर्फ पप्पू पुत्र बाबू निवासी ग्राम कल्लूगढी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभि0 उपरोक्त थाना हाजा के मु0अ0स0- 206/19 धारा-2/3 गैगंस्टर अधिनियम में लगातार वांछित चल रहा था । अभि0के कब्जे से एक अदद एक अदद छुरी नाजायज बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर कायमी मु0अ0स0-335/19 धारा -4/25 ए एक्ट, पंजीकृत हुआ है।

<u>गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता व आपराधिक इतिहास–</u>

(1) इरशाद उर्फ पप्पू पुत्र बाबू निवासी ग्राम कल्लूगढी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद

1. मु0अ0सं0 206/19 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 335/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 46/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मसूरी जिला गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 48/17 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 3/11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 थाना मसूरी गाजियाबाद

<u>अभि0 द्वारा अपराध करने का तरीका</u>

अभियुक्त द्वारा अपने साथियो की मदद से अवैध असलाहो के बल पर गौकशी जैसे अपराध कारित होना।

<u>थाना मसूरी के गैंगस्टर में मुकदमे में वांछित शातिर अपराधी गिरफ्तार</u>:- थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 29/4/19 को अभि0 के मसकन से मुखबिर की सूचना पर समय करीब 8.40 बजे प्रातः थाना मसूरी के अ0सं0 239/19 धारा 2/3 गैगंस्टर अधि0 के वांछित अभि0 (1) इरफान पुत्र असगर निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी जिला गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभि0 उपरोक्त थाना हाजा के मु0अ0स0- 239/19 धारा-2/3 गैगंस्टर अधिनियम में लगातार वांछित चल रहा था ।

<u>गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता व आपराधिक इतिहास–</u>

(1) इरफान पुत्र असगर निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी जिला गाजियाबाद

1- मु0अ0सं0 169/17 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना मसूरी गाजियाबाद

2- मु0अ0सं0 239/19 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद

<u>अभि0 द्वारा अपराध करने का तरीका</u>

अभियुक्त द्वारा अपने साथियो की मदद से अवैध असलाहो के बल पर गौकशी जैसे अपराध कारित होना।

ईट सप्लाई में फर्जीवाड़ा कर लोहो से धोखाधड़ी करने वाले दो शातिर अपराधी गिरफ्तार :-थाना खोडा पुलिस की सक्रियता से उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब दिनांक 28.04.2019 को ईंट सप्लाई(बेचने) करने में फर्जीवाडा कर तय से कम ईंटें देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर आदर्श नगर खोडा से 28.03.19 को पुलिस व जनता के सहयोग द्वारा 02 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता निम्नवत हैः-

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता	**आपराधिक इतिहास**
1-आबिद पुत्र फरजानंद 2- फरमुद्दीन पुत्र मोहम्मद बाबर निवासीगण पावी थाना ट्रोनिका सिटी थाना खोडा गाजियाबाद	मु0अ0सं0210/19 धारा 406,504,506 भादवि थाना खोडा

गिरोह की धोखा धडी से पीडितों के नाम व पता-

1. नरेन्द्र सिह पुत्र श्री करतार सिह निवासी आदर्श नगर खोडा थाना खोडा गाजियाबाद
2. मौनी गाजियाबादइलियास पुत्र रमजानी निवासी टंकी वाली गली लोकप्रिय विहार खोडा कालो 0
3. रामकिशन पुत्र रामहितपाल निवासी आदर्श नगर खोडा कालोनी गाजियाबाद
4. अमरसिंह नि0 आदर्श नगर

चोरी की बाइक सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार ;- थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा दिनांक 28.04.19 को समय 21.45 बजे लोहिया नगर कट से अभियुक्त अरुण गौतम पुत्र धर्म सिंह निवासी राजीव नगर, मंडोली थाना हर्ष विहार दिल्ली को गिरफ्तार किया है | जिसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद हुई है |

थाना मसूरी के मु0अ0सं0 316/19 धारा 323,384,504 भादवि में वांछित अपराधी गिरफ्तार:- थाना मसूरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 316/19 धारा 323/384/504 भादवि के वांछित अभियुक्त आदिल पुत्र मुशर्रत अली निवासी मौहल्ला रोहन इनकलेव कस्बा डासना थाना मसूरी जिला गाजियाबाद **(पार्षद पति वार्ड नं0 1 रोहन इन्कलेव कस्बा डासना थाना मसूरी जिला गाजियाबाद)** के मसकन से मुखबिर की सूचना पर दिनांक 28/4/19 को समय करीब 20.30 बजे गिरफ्तार किया गया है।

उक्त मुकदमें के वादी श्री जाहिद पुत्र गफ्फार निवासी टोल टैक्स चैयरमैन वाली गली मसूरी गाजियाबाद जो कि आइक्रीम बनाने का कार्य करता है द्वारा दिनांक 17/4/19 को पार्षद पति आदिल उपरोक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर (5000 रुपये हफ्ता की माँग करना व मारपीट करने से सम्बंधित) तहरीर दी गयी थी। जिसके आधार पर थाना मसूरी पर मु0अ0सं0 316/19 धारा 323,384,504 भादवि बनाम अभि0 आदिल उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता व आपराधिक इतिहास–

(1) आदिल पुत्र मुशर्रत अली निवासी मौहल्ला रोहन इनकलेव कस्बा डासना थाना मसूरी जिला गाजियाबाद

<u>पंजीकृत अभियोग</u>

1. मु0अ0सं0 316/19 धारा 323,384,504 थाना मसूरी गाजियाबाद

<u>06 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 05 बैट्री एवं 05 मोबाइल व 28,00 नगद रुपये व 103 पैकेट घी तथा चोरी की स्कार्पियों कर बरामद :-</u> थाना कविनगर पुलिस द्वारा दिनांक 29/04/2019 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 06 शातिर चोर अलग-अलग स्थानों पर चोरी किये गये माल सहित बेचने की फिराक में घूम रहे है इस सूचना पर थाना कविनगर पुलिस टीम तथा SOG टीम द्वारा अलग-अलग टीम बनाकर मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर माल व मुल्जिमान की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया जिसमें अवंतिका कट से हाथ में लिये थैलों सहित समय 11.55 बजे 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 05 बैट्री एमरॉन कम्पनी की सील बंद व शटर तोडकर चोरी किये गये 28,00/-रुपये बरामद हुए है।

2- दिनांक 07.04.19 को ड्राईवर द्वारा ट्रक में 800 पैकेट घी के जिनकी कीमत करीब 12,00,000/-रुपये (12 लाख रुपये) लदे हुए सहित लेकर गायब हो गया था, जिसमें थाना कविनगर टीम द्वारा 02 अभियुक्तों को चोरी की स्कार्पियों में लदे हुए घी के 103 पैकेट सहित गिरफ्तार किया गया, जिस सम्बंध में थाना कविनगर पर मु0अ0सं0-727/19 धारा 420,406 भादवि पंजीकृत था।

3- दिनांक 23/24.4.19 की रात्रि को कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा सैक्टर-23 संजयनगर से शटर तोडकर करीब 31 मोबाइल चोरी किये गये थे, जिस सम्बंध में थाना कविनगर पर मु0अ0सं0-860/19 धारा 457,380,427 भादवि बनाम अज्ञात वादी आयूष गोयल द्वारा पंजीकृत कराया गया था, इस सम्बंध में आज दिनांक 29.04.19 को थाना कविनगर पुलिस टीम टीम द्वारा 02 अभियुक्तों को चोरी किये गये मोबाइलों में से 05 मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया।

<u>अभियुक्त का नाम पता –</u>

1- मीर हसन पुत्र अहमद हसन नि0 नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद।

2- आकिल पुत्र इकबाल नि0 नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद।

3- मौ0 हसीब आलम पुत्र मौ0 आईस निवासी म0नं0-21 सै0-21 फरीदाबाद हरियाणा **मूल पता** ग्राम काली गंज कढोतिया थाना मनिहारी जिला कटिहार बिहार।

4- तोकिब आलम पुत्र मौ0 अतीक उल्ला नि0 ग्रीन फील्ड म0नं0-2385 सै0-37 NSP चौक फरीदाबाद हरियाणा **मूल पता** ग्राम काली गंज कढोतिया थाना मनिहारी जिला कटिहार बिहार।

5- ओमवीर पुत्र चन्द्रपाल नि0 करेहला थाना गोण्डा अलीगढ (मु0अ0सं0-727/19 धारा 420,406 भादवि)

6- प्रवीन पुत्र मुंशी सिंह नि0 नमाईज पाडा थाना अतरौली अलीगढ (मु0अ0सं0-727/19 धारा 420,406 भादवि

<u>अभियुक्तों से बरामदगी का विवरण</u>

1- 05 बैट्री एमरॉन डिब्बा बंद (मु0अ0सं0-889/19 धारा 380,457,411,482 भादवि थाना कविनगर)

2- 28,00/-रुपये नगद (मु0अ0सं0-891/19 धारा 380,457,411 भादवि थाना कविनगर)

3- 01 स्कार्पियों जिसका रजि0 नं0-DL-2FHC-0009 (मु0अ0सं0-44309/18 धारा 379 भादवि मुखर्जी नगर दिल्ली।

4- 05 मोबाइल (मु0अ0सं0-860/19 धारा 380,457,427 भादवि थाना कविनगर)

5- 103 पैकेट घी (मु0अ0सं0-727/19 धारा 420,406,411 भादवि थाना कविनगर)

<u>आपराधिक इतिहासः- मीर हसन पुत्र अहमद हसन</u>

1-मु0अ0सं0-280/19 धारा 379,411 IPC थाना दादरी नोएडा।

2- मु0अ0सं0-278/19 धारा 379,411 IPC थाना दादरी नोएडा।

3- मु0अ0सं0-889/19 धारा 380,457,411,482 IPC थाना कविनगर गा0बाद।

4- मु0अ0सं0-891/19 धारा 380,457,411 IPC थाना कविनगर गा0बाद।

5- मु0अ0सं0-537/15 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता निवारक अधि0 थाना मसूरी गा0बाद

6- मु0अ0सं0-185/16 धारा 147,148,149,307 भादवि थाना मसूरी गा0बाद।

<u>आपराधिक इतिहासः- आकिल पुत्र इकबाल</u>

1-मु0अ0सं0-280/19 धारा 379,411 IPC थाना दादरी नोएडा।

2- मु0अ0सं0-278/19 धारा 379,411 IPC थाना दादरी नोएडा।

3- मु0अ0सं0-889/19 धारा 380,457,411,482 IPC थाना कविनगर गा0बाद।

4- मु0अ0सं0-891/19 धारा 380,457,411 IPC थाना कविनगर गा0बाद।

5- मु0अ0सं0-67/15 धारा 110 जी थाना मसूरी गा0बाद

<u>आपराधिक इतिहासः- 1-तोकिर आलम 2- मौ0 हसीब आलम</u>

1-मु0अ0सं0-860/19 धारा 457,380,427 IPC थाना कविनगर गा0बाद।

2- मु0अ0सं0-907/19 धारा 411,414 IPC थाना कविनगर गा0बाद।

<u>आपराधिक इतिहासः- 1-ओमवीर 2-प्रवीन</u>

1-मु0अ0सं0-727/19 धारा 420,406 IPC थाना कविनगर गा0बाद।

2- मु0अ0सं0-44309/18 धारा 379 भादवि मुखर्जी नगर दिल्ली।